राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 4893/2024

राणा राम पुत्र भेरा राम चौधरी, उम्र लगभग 41 वर्ष, पता ए-24, बासनी कृषि मंडी, जोधपुर

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. शिव कुमार मंडोवरा पुत्र जमना लाल मंडोवरा, दुकान नं. 75, कृषि उपज मण्डी, सुभाष नगर, भीलवाड़ा।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री महेंद्र सिंह राजपुरोहित
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री एस.एस. राजपुरोहित, पीपी
शिकायतकर्ता के लिए	:	सुश्री शोभा प्रभाकर

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>06/08/2024</u>

1. इस न्यायालय के समक्ष एक और मामला है, जहां पक्षों के बीच विवाद यद्यपि पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है, लेकिन अत्यधिक आज्ञाकारी पुलिस अधिकारियों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए, जाहिर तौर पर शिकायतकर्ता की मदद करने के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत कथित अपराधों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिससे पूरे मामले को आपराधिक दोष का रंग दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह की कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई। पुलिस स्टेशन में प्राप्त शिकायत को केवल एक प्राथमिकी में बदल दिया गया। इसके बारे में बाद में और अधिक जानकारी दी जाएगी।

2. संक्षेप में, अनावश्यक विवरणों से अलग, वर्तमान याचिका की स्थापना के लिए मामले के प्रासंगिक तथ्य निम्नानुसार हैं:-

2.1. प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता शिव कुमार मंडोवरा द्वारा राम किशोर झंवर और नरेंद्र झंवर के खिलाफ धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत कथित अपराधों के लिए दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर पुलिस स्टेशन सुभाष नगर, भीलवाड़ा में दिनांक 20.06.2024 को एफआईआर संख्या 319/2024 दर्ज की गई थी। उनके आरोपों का सार यह है कि उन्होंने माल (ग्वार गम) खरीदा और डिलीवरी के बावजूद उसका भुगतान नहीं किया।

2.2 जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस ने माल जब्त किया, जिसका वजन लगभग 47,815 किलोग्राम बताया गया, जिसकी कुल कीमत 25,54,807 रुपये है। यह पता चला कि मामले की जांच के दौरान, विचाराधीन माल वर्तमान याचिकाकर्ता के परिसर से जब्त/बरामद किया गया था। यह अब पुलिस के कब्जे में है।

2.3. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष उक्त माल को मुक्त करने की मांग कर रहा है, जो एक नाशवान वस्तु है। उसने कहा है कि वह माल का वास्तविक खरीदार है और श्री नरेन्द्र झंवर (एफआईआर में सह-आरोपी) द्वारा जारी लिखित रसीद के आधार पर उसने इसकी कीमत चुकाई है।

3. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान लोक अभियोजक को सुना है और मामले की फाइल, विशेष रूप से एफआईआर की विषय-वस्तु का अवलोकन किया है।

4. मामले के गुण-दोष पर विचार करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने से पहले, यह उचित समझा जाता है कि एफआईआर की विषय-वस्तु देखी जाए। इसका अनुवादित संस्करण इस प्रकार है:-

सेवा में,

थाना प्रभारी, पुलिस थाना-सुभाष नगर, भीलवाड़ा

शिकायतकर्ता- शिव कुमार मंडोवारा

विषय- रिपोर्ट दर्ज करने एवं कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महोदय,

मैं, शिकायतकर्ता, यह एफआईआर प्रस्तुत करता हूं और निम्नलिखित बताता हूं:

मैं सांवरिया ट्रेडर्स के नाम और शैली के तहत अनाज के व्यापार में लगा हुआ हूं। आरोपी, राम किशोर झंवर और उनके बेटे नरेंद्र झंवर,

अक्सर दलाल के रूप में मेरी दुकान पर आते थे, और उनकी फर्म मेसर्स रामकिशोर झंवर एंड कंपनी अनाज मंडी, बासनी, जोधपुर के नाम से संचालित होती है। आरोपी राम किशोर ब्यावर का निवासी है और अक्सर भीलवाड़ा आता रहता है, जिससे समय के साथ मेरा विश्वास बढ़ गया।

दिनांक 21/05/2024 को, आरोपी ने फोन पर अनाज और ग्वार के भाव के बारे में पूछा, जिस पर मैंने 5,421 रुपये प्रति टन का भाव बताया। इसके बाद, उन्होंने मुझे जोधपुर के सारण ब्रदर्स के नाम से माल लोड करके भेजने का निर्देश दिया। उनके निर्देश पर मैंने 14,11,357 रुपए कीमत के 26,035 किलोग्राम ग्वार को वाहन संख्या आरजे-19-जीबी-9556 पर लोड करवाने की व्यवस्था की। माल को वजन पर्ची (बिल्टी) और बिल ऑफ लैडिंग के साथ भेजा गया, जिसे आरोपियों ने प्राप्त किया और तुरंत भुगतान के वादे के साथ उतार दिया।

इसके बाद, आरोपियों ने अमन एंटरप्राइजेज, जोधपुर के नाम से माल का एक और लोड मांगा और बिल ऑफ लैडिंग बनाने का निर्देश दिया। तदनुसार, 12/06/2024 को, मैंने 5,250 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 11,43,450 रुपए मूल्य के 21,780 किलोग्राम माल लोड किया। वाहन संख्या आरजे-19-जीडी-8641 में लादकर बिल ऑफ लैडिंग के साथ भेजा गया। माल को ओम प्रोडक्ट वेयरहाउस, एफ-176, बोरानाडा में उतारा गया, जो अर्जुन जी राठी का है।

मैंने दोनों लेन-देन के लिए कुल 25,54,807/- रुपए का भुगतान मांगा। लेकिन, बकाया राशि का भुगतान करने के बजाय, आरोपी ने मेरा फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। चिंतित होकर, मैं और मेरा बेटा जोधपुर गए, जहां हमें पता चला कि आरोपी शुरू से ही धोखाधड़ी करने के इरादे से आए थे। उनका उद्देश्य किसी अन्य फर्म के नाम से माल खरीदकर और उसे अलग स्थान पर स्टोर करके माल का ठिकाना छिपाने के लिए मुझे धोखा देना था। आरोपी राम किशोर झंवर ने मुझे खुलेआम धमकाते हुए कहा, "हमने शुरू से ही आपको धोखा देने की योजना बनाई थी, और हम इसमें सफल भी रहे। आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम धीरे-धीरे आपके माल को गोदाम से दूसरी पार्टियों को बेच देंगे और पैसे उड़ा देंगे।"

अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो आरोपी मुझे काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आरोपियों ने पहले से ही साजिश रचकर 25,54,807/- रुपए का माल हासिल कर लिया है।

इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि मामला दर्ज किया जाए, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके कब्जे से मेरा सामान बरामद किया जाए। इसके अलावा, मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे अपराधों को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।"

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील याचिका में लिए गए आधारों के समान तर्क देंगे, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:-

5.1. याचिकाकर्ता ने नरेंद्र झंवर को पूर्ण और अंतिम भुगतान कर दिया है। नरेंद्र झंवर और शिकायतकर्ता के बीच कोई भी विवाद केवल उनका मामला है, और याचिकाकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

5.2. याचिकाकर्ता को नरेंद्र झंवर और शिकायतकर्ता के बीच किसी भी विवाद की जानकारी नहीं है।

5.3. यदि नरेन्द्र झंवर या उसके परिवार के सदस्यों ने शिकायतकर्ता के साथ कोई धोखाधड़ी या विश्वासघात किया है, तो याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसने उक्त ग्वार गम के लिए पहले ही पूर्ण और अंतिम भुगतान कर दिया है। नरेन्द्र कुमार झंवर द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में 14.06.2024 को बिक्री रसीद जारी की गई थी, जिसमें लेनदेन की पुष्टि की गई थी।

5.4. पुलिस ने सामग्री जब्त कर ली है, जो वर्तमान में भीलवाड़ा पुलिस स्टेशन में संग्रहीत है। बरामद सामग्री की अब जांच या परीक्षण के लिए आवश्यकता नहीं है और इसे ऐसी स्थिति में रखा जा रहा है जिससे उसके खराब होने का खतरा है। यदि माल को सुपुर्दगीनामा पर नहीं छोड़ा जाता है, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

6. इसके विपरीत, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि उक्त माल शिकायतकर्ता (ए) का है, जिसे आरोपी (बी) अर्थात् नरेन्द्र कुमार झंवर और आरोपी (सी) अर्थात् राणा राम, याचिकाकर्ता को बेचा गया था, जो समान रूप से दोषी है। याचिकाकर्ता (सी) मूल विक्रेता यानी शिकायतकर्ता (ए) को बिक्री की आय का भुगतान किए बिना ही दावा कर रहा है।

7. वर्तमान याचिका ग्वार गम को सुपुर्दगी पर छोड़ने के लिए है। शुरू में, मेरा मानना है कि, किसी भी मामले में, माल खराब होने वाला है और इसे पुलिस

हिरासत में रखने से किसी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। न केवल वे समय बीतने के साथ खराब हो जाएंगे, बल्कि बड़ी मात्रा में होने के बावजूद, पुलिस द्वारा भंडारण के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होगी। हालांकि, निचली अदालत की संतुष्टि के लिए बांड प्रस्तुत करने की सामान्य शर्तों पर सुपुर्दगी पर छोड़ने के बजाय, मेरा मानना है कि, इसके बाद बताए गए कारणों से, कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, याचिका में प्रार्थना से परे धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय में निहित अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना एक उपयुक्त मामला है।

8. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने उक्त ग्वार गम की पूरी और अंतिम राशि का भुगतान किया है, जिसके लिए नरेंद्र कुमार झंवर द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में 14.06.2024 को बिक्री रसीद जारी की गई थी।

8.1. एफआईआर की सामग्री को देखने और उसमें बताई गई तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करने के बाद, मेरा मानना है कि यह पुलिस शक्तियों के पूर्ण दुरुपयोग में दर्ज किया गया है। प्रथम दृष्टया, एफआईआर की सामग्री किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है जिसके लिए पुलिस द्वारा जांच और/या राज्य के खजाने की कीमत पर आपराधिक मुकदमा चलाने की आवश्यकता हो। मेरी राय में, यह विवाद निजी पक्षों, यानी (ए) मूल विक्रेता, (बी) खरीदार और (सी) बाद के खरीदार के बीच दीवानी प्रकृति का है।

9. एफआईआर में शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया स्वीकार किया गया बयान यह है कि वर्षों से (ए) और (बी) एक दूसरे के साथ वाणिज्यिक लेनदेन कर रहे हैं। यह पता चला है कि उनके बीच परस्पर डेबिट-क्रेडिट धन प्रेषण हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में वाणिज्यिक लेनदेन के लिए, अर्थात माल अर्थात ग्वार गम का भुगतान (बी) द्वारा किसी भी कारण से शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया गया था। ऐसा या तो इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ पैसे का विवाद था या माल की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं थी या दोनों या अन्यथा। लेकिन इससे पहले कि आपसी विवाद का निपटारा हो सके, (बी) ने प्रतिफल प्राप्त होने पर माल (सी) को बेच दिया।

10. दिए गए मामलों में एफआईआर को रद्द करने के सिद्धांतों का संदर्भ लिया जा सकता है, जहां ऐसा करना आवश्यक है, जैसा कि हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। त्वरित संदर्भ के लिए, उन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"धारा 226 के तहत असाधारण शक्ति या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग में, उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां दी गई हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य मार्गदर्शन निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है- ऐसे असंख्य प्रकार के मामले हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए:

(ए) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाते हैं;

(बी) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि कोई हो, एफ.आई.आर. के साथ संज्ञेय अपराध का खुलासा न करें, संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराएं;

(सी) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं;

(डी) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं बनाते हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध बनाते हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कोई जांच की अनुमति नहीं है, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित है;

(ई) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है;

(एफ) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू

करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है;

(जी) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई हो और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हो।

11. इस स्तर पर, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य का संदर्भ भी लिया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा डाकघरों की तरह कार्य करते हुए नियमित रूप से एफआईआर दर्ज करने में निर्णय/अनुपात को गलत तरीके से समझा गया है। इस न्यायालय में हर दूसरे दिन एफआईआर दर्ज करने की स्याही सूखने से पहले ही तुच्छ एफआईआर को रद्द करने की याचिकाएं दायर की जाती हैं। कारण तलाशने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, यानी जब तक वे रद्द करने की मांग करने के लिए इस न्यायालय से संपर्क नहीं करते, उन्हें गिरफ्तारी की आशंका के कारण जमानत मांगनी पड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी रिहाई की पूरी प्रक्रिया में देरी होती है। पुलिस अधिकारियों की शिक्षा के लिए, ललिता कुमारी (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"119. इसलिए, पंजीकरण या गैर-पंजीकरण के संबंध में विभिन्न प्रतिवादों को देखते हुए, केवल इतना आवश्यक है कि पुलिस को दी गई सूचना में संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में, एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। हालांकि, यदि दी गई सूचना में कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, तो एफआईआर तुरंत दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और शायद पुलिस इस सीमित उद्देश्य के लिए एक प्रकार का प्रारंभिक सत्यापन या जांच कर सकती है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध किया गया है। लेकिन, यदि दी गई सूचना में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध के होने का उल्लेख है, तो तुरंत एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। एफआईआर दर्ज करने के चरण में अन्य विचार प्रासंगिक नहीं हैं, जैसे कि क्या सूचना गलत दी गई है, क्या सूचना वास्तविक है, क्या सूचना विश्वसनीय है आदि। ये वे मुद्दे हैं जिन्हें एफआईआर की जांच

के दौरान सत्यापित किया जाना है। एफआईआर दर्ज करने के चरण में, केवल यह देखा जाना चाहिए कि दी गई सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है या नहीं। यदि जांच के बाद दी गई सूचना झूठी पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता पर झूठी एफआईआर दर्ज करने के लिए मुकदमा चलाने का विकल्प हमेशा मौजूद रहता है।

निष्कर्ष/निर्देश:

120. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हम मानते हैं:

120.1. यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच स्वीकार्य नहीं है।

120.2. यदि प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं होता है, लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत मिलता है, तो केवल यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं।

120.3. यदि जांच से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक जांच शिकायत को बंद करने के साथ समाप्त होती है, ऐसी बंद करने की प्रविष्टि की एक प्रति तुरंत और एक सप्ताह से अधिक समय के भीतर प्रथम सूचनाकर्ता को प्रदान की जानी चाहिए। इसमें शिकायत को बंद करने और आगे कार्यवाही न करने के कारणों का संक्षेप में खुलासा किया जाना चाहिए।

120.4. यदि संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता। यदि उसे प्राप्त सूचना में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो एफआईआर दर्ज न करने वाले गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

120.5. प्रारंभिक जांच का दायरा प्राप्त सूचना की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाना है कि क्या सूचना में कोई संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है।

120.6. किस प्रकार और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है, उनकी श्रेणी इस प्रकार है:

क) वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद

ख) वाणिज्यिक अपराध

ग) चिकित्सा लापरवाही के मामले

घ) भ्रष्टाचार के मामले

ङ) ऐसे मामले जहां आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी/आलस्य है, उदाहरण के लिए, देरी के कारणों को संतोषजनक ढंग से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में 3 महीने से अधिक की देरी।

उपरोक्त केवल उदाहरण हैं और उन सभी स्थितियों का संपूर्ण विवरण नहीं है, जिनके लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती है।

120.7. अभियुक्त और शिकायतकर्ता के अधिकारों को सुनिश्चित और संरक्षित करते हुए, प्रारंभिक जांच समयबद्ध होनी चाहिए और किसी भी मामले में यह 7 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह की देरी का तथ्य और इसके कारण सामान्य डायरी प्रविष्टि में दर्शाए जाने चाहिए।

120.8. चूंकि सामान्य डायरी/स्टेशन डायरी/दैनिक डायरी पुलिस थाने में प्राप्त सभी सूचनाओं का अभिलेख है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि संज्ञेय अपराधों से संबंधित सभी सूचनाएं, चाहे वे एफआईआर दर्ज करने के लिए हों या जांच के लिए, अनिवार्य रूप से और सावधानीपूर्वक उक्त डायरी में दर्शाई जानी चाहिए और प्रारंभिक जांच करने का निर्णय भी प्रतिबिंबित होना चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

12. ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों द्वारा उपरोक्त सिद्धांतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। शायद, शिकायतकर्ता (ए) को उसके देनदार से पैसे वसूलने के लिए उसकी ओर से वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने में मदद करने की उनकी अति इच्छा में।

13. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं है। अन्यथा भी, शिकायतकर्ता द्वारा एफआईआर में कानाफूसी करने लायक कुछ भी

नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता की क्या भूमिका है, जो यह दावा कर रहा है कि वह एक वास्तविक खरीदार है।

14. आईपीसी की धारा 405 आपराधिक विश्वासघात के अपराध को परिभाषित करती है, जो आईपीसी की धारा 406 के तहत दंडनीय है, इस प्रकार:-

> "405. आपराधिक विश्वासघात-
>
> जो कोई, किसी भी तरह से संपत्ति सौंपी जाने पर, या संपत्ति पर किसी भी आधिपत्य के साथ, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे अपने उपयोग में परिवर्तित करता है, या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करता है या उसका निपटान करता है, कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करते हुए, जिसमें उस तरह के विश्वास को मुक्त करने का तरीका निर्धारित किया गया है, या किसी भी कानूनी अनुबंध, व्यक्त या निहित, जो उसने ऐसे विश्वास के निर्वहन के संबंध में किया है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, वह "आपराधिक विश्वासघात" करता है।

उपर्युक्त धारा 405 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 में धारा 316(1) के रूप में यथावत रखा गया है तथा निम्नानुसार है:-

> **"316. आपराधिक विश्वासघात-**
>
> (1) जो कोई, किसी भी तरह से संपत्ति, या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ सौंपा गया हो, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे अपने उपयोग में परिवर्तित करता है, या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करता है या उसका निपटान करता है, जो कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है, जिसमें उस तरह के ट्रस्ट को निर्वहन करने का तरीका निर्धारित किया गया है, या किसी भी कानूनी अनुबंध, व्यक्त या निहित, जो उसने ऐसे ट्रस्ट के निर्वहन से संबंधित किया है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, वह आपराधिक विश्वासघात करता है।"

15. आइए हम इसकी बेहतर समझ के लिए धारा के अवयवों को नीचे दिए अनुसार विभाजित करें:-

(ए) सौंपना:

व्यक्ति को संपत्ति सौंपी जानी चाहिए या संपत्ति पर कुछ प्रभुत्व होना चाहिए। यह सौंपना स्पष्ट (प्रत्यक्ष) या कानूनी समझौते या कर्तव्यों के माध्यम से निहित हो सकता है।

(बी) बेईमानी से दुरुपयोग या उपयोग:

व्यक्ति को सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, रूपांतरण या अपने स्वयं के लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। इसमें दुरुपयोग का कोई भी रूप शामिल है जो कानून, ट्रस्ट या समझौते की शर्तों के विपरीत है।

(सी) निर्देशों या अनुबंधों का उल्लंघन:

दुरुपयोग कानून के विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन होना चाहिए जो यह रेखांकित करते हैं कि ट्रस्ट को कैसे निष्पादित किया जाना है या किसी भी कानूनी अनुबंध के विपरीत है - चाहे वह स्पष्ट (स्पष्ट रूप से कहा गया हो) या निहित (प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के बिना समझा गया हो)।

(डी) जानबूझकर पीड़ित:

यदि व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रस्ट के उल्लंघन में संपत्ति का दुरुपयोग करने की अनुमति देता है, तो यह भी उल्लंघन का गठन करता है।

15.1. यह देखा जाएगा कि धारा, सुप्रा की प्रयोज्यता के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि जिस संपत्ति के संबंध में अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है, उसमें लाभकारी हित उसी व्यक्ति में निहित रहता है जिसके द्वारा उसे सौंपा गया था, अर्थात उसी व्यक्ति में, न कि अभियुक्त में। आपराधिक विश्वासघात के उदाहरण हैं:

- कंपनी के धन को सौंपे जाने वाला कर्मचारी जो उनका उपयोग निजी खर्चों के लिए करता है।

- संपत्ति का ट्रस्टी जो ट्रस्ट की शर्तों के विरुद्ध संपत्ति बेचता है।

- गोदाम का रखवाला जो मालिक की अनुमति के बिना अपनी देखभाल में रखे माल का निपटान करता है।

15.2. इस प्रकार अभियोजन पक्ष को दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए सौंपे जाने के तत्वों और सौंपे जाने की शर्तों के बेईमानी से उल्लंघन को साबित करना होगा। यह प्रत्ययी जिम्मेदारियों के निर्वहन और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है

कि सौंपी गई संपत्ति को कानून के अनुसार और ट्रस्ट या कानूनी समझौते की शर्तों के अनुसार संभाला जाए।

16. तत्काल एफआईआर में लगाए गए आरोपों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने राम किशोर झंवर और/या उनके बेटे नरेंद्र झंवर को माल बेचा था। एफआईआर में शिकायतकर्ता के आरोपों से यह और भी स्पष्ट है कि जब उसने दोनों लेन-देन के लिए कुल 25,54,807/- रुपये का भुगतान करने का अनुरोध किया, तो बकाया राशि का भुगतान करने के बजाय, आरोपी ने (स्पष्ट रूप से राम किशोर झंवर और/या उनके बेटे नरेंद्र झंवर) उसका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया।

17. एफआईआर में शिकायतकर्ता द्वारा खुद लगाए गए ये आरोप उसके विद्वान वकील के इस तर्क के विपरीत हैं और उसे ध्वस्त करते हैं कि शिकायतकर्ता ने उक्त माल राणा राम, याचिकाकर्ता को भी बेचा था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता भी समान रूप से दोषी है क्योंकि वह मूल विक्रेता यानी शिकायतकर्ता को बिक्री की आय का भुगतान किए बिना ही इसका दावा कर रहा है। यह काफी दिलचस्प है कि एफआईआर में याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए तर्कों के मुकाबले बहुत विरोधाभासी रुख अपनाया गया है।

18. किसी भी तरह से, यह शिकायतकर्ता द्वारा नरेंद्र कुमार झंवर को माल की बिक्री का एक साधारण वाणिज्यिक लेनदेन प्रतीत होता है। बिक्री के समय ही, बेचे गए माल में संपत्ति (स्वामित्व) क्रेता (नरेंद्र कुमार झंवर) के पास चली गई थी और अब शिकायतकर्ता या नरेंद्र कुमार झंवर आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं रही।

19. मेरे विचार से, एफआईआर में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए तो, आईपीसी की धारा 405 में परिभाषित आपराधिक विश्वासघात के अपराध का खुलासा नहीं होता है जो आईपीसी की धारा 406 के तहत दंडनीय है।

20. जैसा कि ऊपर पाया गया, यह माल की बिक्री-खरीद का एक साधारण वाणिज्यिक लेनदेन था; बिक्री के समय ही, बेचे गए माल में संपत्ति/लाभकारी हित क्रेता (नरेंद्र झंवर) के पास चली गई थी और अब शिकायतकर्ता या आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं रही। वर्तमान याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने उक्त नरेंद्र झंवर से माल खरीदा था, उक्त ग्वार गम के लिए पूर्ण और अंतिम भुगतान किया था और नरेंद्र कुमार झंवर द्वारा 14.06.2024 को याचिकाकर्ता के पक्ष में लेनदेन की पुष्टि करते हुए बिक्री रसीद जारी की गई थी।

21. अब धारा 420 आईपीसी पर ध्यान दें, इसके तहत आपराधिक दायित्व को आकर्षित करने के लिए एक अनिवार्य तत्व धोखाधड़ी का तत्व है और इस तरह,

किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को सौंपने के लिए धोखा देने वाले व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित करना है। वर्तमान मामला माल की एक साधारण बिक्री और शिकायतकर्ता द्वारा नरेंद्र झंवर को इसकी डिलीवरी होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता को धोखा दिया गया था और इस तरह आरोपी द्वारा माल को बाद में वितरित करने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया गया था। मेरी राय में, एफआईआर में आरोप भी धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के कमीशन का खुलासा नहीं करते हैं।

22. मामले का एक और पहलू है। धारा 405 आईपीसी और धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध परस्पर विरोधी हैं और एक साथ नहीं हो सकते। धारा 405 आईपीसी के मामले में, संपत्ति मालिक द्वारा अभियुक्त को ट्रस्ट में सौंपी जाती है और अभियुक्त की ओर से संपत्ति के सौंपे जाने से पहले या उसके समय बेईमानी का कोई तत्व नहीं होता है, लेकिन अभियुक्त की बेईमानी का तत्व संपत्ति के सौंपे जाने के बाद विकसित/उत्पन्न होता है। इसके विपरीत, धारा 420 की प्रयोज्यता के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि अभियुक्त की बेईमानी का तत्व संपत्ति के सौंपे जाने से पहले और/या उसके समय यानी, उसके आरंभ में ही मौजूद था।

22.1. आईपीसी की धारा 405 और 420 दोनों ही अलग-अलग डोमेन में काम करती हैं, यानी सौंपना बनाम प्रलोभन। धारा 405 सौंपने से संबंधित है, जहां पीड़ित संपत्ति सौंपकर आरोपी पर भरोसा करता है, और आरोपी द्वारा इस भरोसे का कोई भी उल्लंघन सीधे पीड़ित को नुकसान पहुंचाता है। इसके विपरीत, धारा 420 प्रलोभन से संबंधित है, जहां आरोपी सक्रिय रूप से पीड़ित से संपर्क करता है, अक्सर गलत बयानी या धोखे के माध्यम से, जिससे पीड़ित को उसकी ईमानदारी पर गलत विश्वास हो जाता है और वह झूठे बहाने/प्रलोभन के तहत अपनी संपत्ति छोड़ देता है। इसलिए, सौंपना मौजूदा विश्वास के उल्लंघन पर केंद्रित है, जबकि प्रलोभन में शुरू से ही धोखा शामिल है।

22.2. आसान संदर्भ के लिए, धारा 420 आईपीसी को भी नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> **"धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण करने के लिए प्रेरित करना**
>
> जो कोई भी धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, या किसी मूल्यवान सुरक्षा या किसी भी चीज़ के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, जो

हस्ताक्षरित या सीलबंद है, और जो मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात साल तक हो सकती है, और जुर्माना भी देना होगा।"

भारतीय दंड संहिता की धारा 420 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 में धारा 318 (4) के रूप में यथावत रखा गया है तथा निम्नानुसार है:-

"318. धोखाधड़ी

(4) जो कोई भी धोखा देता है और इस प्रकार बेईमानी से धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति या किसी ऐसी चीज को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, जिस पर हस्ताक्षर या मुहर लगी हो और जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता हो, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा।"

22.3. इस प्रकार, उक्त प्रावधान में यह परिकल्पना की गई है कि धोखाधड़ी का कार्य, जहां कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, ऐसा होना चाहिए, जिसके द्वारा धोखा दिए गए व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए प्रेरित किया जाता है:

- किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना।
- किसी मूल्यवान प्रतिभूति का पूरा या उसका कोई भाग बनाना, बदलना या नष्ट करना।
- हस्ताक्षरित, सीलबंद और मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम किसी भी वस्तु को संशोधित या नष्ट करना।

इस प्रकार यह प्रावधान दूसरों को संपत्ति से अलग करने या मूल्यवान दस्तावेजों में परिवर्तन करने के लिए छल का उपयोग करने के गंभीर परिणामों को उजागर करता है।

23. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट है कि पुलिस में दर्ज की गई रिपोर्ट में धारा 406 या 420 आईपीसी या किसी अन्य संज्ञेय अपराध के तहत अपराध किए जाने का खुलासा नहीं किया गया है।

24. इसके अलावा, एफआईआर दर्ज करने से पहले, ललिता कुमारी (सुप्रा) के मामले में निर्धारित शर्तों/मापदंडों का अनुपालन नहीं किया गया था। सबसे पहले, पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए

तो, आईपीसी की धारा 405 में परिभाषित आपराधिक विश्वासघात के अपराध का खुलासा नहीं हुआ, जो आईपीसी की धारा 406 और आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय है या कोई अन्य संज्ञेय अपराध है। दूसरे, कथित अपराध माल की बिक्री और खरीद के विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न हुए थे। फिर भी, एफआईआर दर्ज करने से पहले, यह पता लगाने के लिए कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई कि कोई संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं। यदि आवश्यक जांच की गई होती, तो जाहिर है कि परिणाम अलग होते।

25. जैसा भी हो, यह शिकायतकर्ता का काम है कि वह देनदार से अपने दावे किए गए धन की वसूली के लिए उचित सिविल कार्यवाही शुरू करे, न कि पुलिस अधिकारियों का काम है कि वे अपनी खाकी वर्दी का दुरुपयोग करके जांच करने की आड़ में खुद को उसके सिविल वसूली एजेंट के रूप में पेश करें।

26. चर्चा को सारांशित करने के लिए, अंत में, प्रतिवादी राजस्थान राज्य के पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश देना आवश्यक माना जाता है कि, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 405/406 और 420 [भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 316 और 318] के तहत कथित अपराधों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले, जहां लेनदेन पूरी तरह से वाणिज्यिक है, जैसे कि माल या यहां तक कि अचल संपत्ति की बिक्री-खरीद, और माल/संपत्ति में हित/शीर्षक क्रेता को हस्तांतरित हो गया है, एक अनिवार्य प्रारंभिक जांच करें। जब तक रिपोर्ट में यह न दिखाया जाए कि अपराध के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। प्रारंभिक जांच निश्चित तत्परता (अधिकतम एक सप्ताह या 10 दिन) के साथ की जानी चाहिए ताकि कथित अपराधी को सबूत नष्ट करने या फरार होने या अन्यथा पीई के दौरान कोई अन्य लाभ उठाने का मौका न मिले।

27. वर्तमान मामले पर लौटते हुए, पिछले भाग में विस्तृत चर्चा के साथ-साथ तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता के आलोक में, मेरा यह मत है कि विचाराधीन एफआईआर और/या उससे उत्पन्न आपराधिक मुकदमे की जांच जारी रखने से, यदि कोई हो, जांच के परिणाम के आधार पर, याचिकाकर्ता और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों को अनुचित उत्पीड़न और अनावश्यक कष्ट होगा। न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, मैं एफआईआर और परिणामी कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय में निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इसे उपयुक्त मामला मानता हूं।

28. तदनुसार, पुलिस स्टेशन सुभाष नगर, भीलवाड़ा में धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए पंजीकृत एफआईआर संख्या 319/2024 दिनांक 20.06.2024 और परिणामी कार्यवाही को रद्द किया जाता है। उपरोक्त शर्तों के साथ याचिका स्वीकार की जाती है। परिणाम आगे आएंगे।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।